भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या **1173**

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 27 जुलाई, 2018/5 श्रावण, 1940 (शक) को दिया जाना है।

**रुग्ण और बंद पड़े पीएसयू की परिसंपत्तियों और जमीनों की बिक्री**

**1173. डा. संजय सिंहः**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार रुग्ण और बंद पड़े पीएसयू की परिसंपत्तियों और जमीनों को बेचने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो बंद पड़े केंद्रीय पीएसयू की परिसंपत्तियों और जमीनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत एचएफसी और अन्य पीएसयू की बंद इकाइयों की संपत्तियों और परिसंपत्तियों के पट्टे और/या बिक्री के संबंध में निर्णय लेने वाले प्राधिकारी कौन हैं;

(घ) एचएफसी तथा मंत्रालय की अन्य बंद पड़ी इकाइयों की जमीन और परिसंपत्तियों के संबंध में सरकारी पहलों सहित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारों के बकाये का, जिन्हें वे सरकारें 30 जून, 2018 तक अनुरक्षण और अन्य व्ययों के मद में वहन कर रही हैं, भुगतान करने के लिए सरकार के पास क्या प्रस्ताव है?

**उत्‍तर**

**योजना मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(राव इन्‍द्रजीत सिंह)**

**(क) से (घ):** रसायन और उर्वरक मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कुल 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) कार्य कर रहे हैं। इनमें से 8 पीएसयूज रुग्‍ण हैं और घाटे में चल रहे हैं। आज तक इनमें से किसी पीएसयू को बंद नहीं किया गया है। तथापि, पीएसयूज की भूमि के ब्‍यौरे और अन्‍य परिसम्‍पत्तियों जिनके संबंध में भारत सरकार ने पूर्व में उनके पुनर्गठन/बंदी अथवा पुनर्गठन की जांच/बंद करने के प्रस्‍तावों के संबंध में निर्णय लिया था और एचएफसीएल की भूमि और परिसम्‍पत्तियों तथा मंत्रालय की अन्‍य बंद पड़ी इकाइयों पर गई सरकारी पहल इस प्रकार है:

**-: 2 :-**

**फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल)**

एफसीआईएल न तो रुग्‍ण है न ही बंद पीएसयू है। तथापि, सीसीईए/मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार एफसीआईएल की बंद पड़ी इकाइयों की भूमि और प्रयोज्‍य परिसम्‍पत्तियां सिंदरी, गोरखपुर, रामगुंडम और तलचर में अत्‍याधुनिक 12.7 लाख मी.टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले यूरिया संयंत्रों की स्‍थापना हेतु नामित पीएसयूज के संयुक्‍त उद्यम को मुहैया कराई गई हैं और उसके बदले में एफसीआईएल प्रत्‍येक संयुक्‍त उद्यम में 11% इक्विटी प्राप्‍त करेगा। तदनुसार रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एण्‍ड केमिकल्‍स लिमिटेड (आरएफसीएल) का पुनरुद्धार ईआईएल, एनएफएल एवं एफसीआर्इएल के एक संयुक्‍त उद्यम द्वारा और एफसीआईएल की तलचर इकाई का पुनरुद्धार आरसीएफ, गेल, सीआईएल एवं एफसीआईएल के एक संयुक्‍त उद्यम मैसर्स तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्‍यम किया जा रहा है। एफसीआर्इएल की सिंदरी और गोरखपुर इकाइयों का पुनरुद्धार एनटीपीसी, सीआईएल, आईओसीएल, एफसीआईएल, एवं एचएफसीएल के एक संयुक्‍त उद्यम मैसर्स हिन्‍दुस्‍तान उर्वरक एण्‍ड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के माध्‍यम से किया जा रहा है।

**हिन्‍दुस्‍तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल):**

एचएफसीएल न तो रुग्‍ण है न ही बंद पीएसयू है। तथापि, सीसीईए/मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार एचएफसीएल की बंद पड़ी बरौनी इकाई की भूमि और प्रयोज्‍य परिसम्‍पत्तियां बरौनी इकाई में अत्‍याधुनिक 12.7 लाख मी.टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले यूरिया संयंत्रों की स्‍थापना हेतु नामित पीएसयूज के संयुक्‍त उपक्रम को मुहैया करायी गई हैं और उसके बदले में एचएफसीएल संयुक्‍त उद्यम में 11% इक्विटी प्राप्‍त करेगा। तदनुसार बरौनी इकाई का पुनरुद्धार एनटीपीसी, सीआईएल, आईओसीएल, एफसीआईएल और एचएफसीएल के एक संयुक्‍त उद्यम मैसर्स हिन्‍दुस्‍तान उर्वरक एण्‍ड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के माध्‍यम से किया जा रहा है।

**हिन्‍दुस्‍तान ऑर्गनिक केमिकल्‍स लिमिटेड (एचओसीएल):**

एचओसीएल के सम्‍बन्‍ध में सरकार/सीसीईए के अनुमोदित पुनर्गठन योजना के अनुसार एचओसीएल की रासायनी इकाई में एन2ओ4 संयंत्र, जिसे अंतरिक्ष विभाग/इसरो को अंतरित कर दिया गया है, को छोड़़कर सभी संयंत्रों का प्रचालन बंद पड़ा है। पुनर्गठन योजना में अन्‍य बातों के साथ-साथ रासायनी में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को 442 एकड़ भूमि की बिक्री और डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार रासायनी इकाई की अन्‍य भारयुक्‍त भूमि और परिसम्‍पत्तियों(इसरो को अंतरित होने वाले एन2ओ4 संयंत्र से सम्‍बद्ध भूमि और परिसम्‍पत्तियों को छोड़कर) का निपटान शामिल है। एचओसीएल की रासायनी इकाई की भूमि और अन्‍य परिसम्‍पत्तियों के ब्‍यौरे निम्‍नवत हैं:

-:3:-

(i) विभिन्‍न भागों में (एचओसीएल के नाम 7/12 उद्धरणों के साथ) और रासायनी, पनवेल तथा खारगढ़ में विभिन्‍न उपयोग वाली कुल लगभग 1005 एकड़ भूमि।

(ii) संयंत्र मशीनरी और भवन

(iii) नेस्‍ले फ्लैट्स, मुंबई

(iv) बड़ौदा में कार्यालय परिसर

आज की तिथि के अनुसार लगभग 251 एकड़ भूमि (442 एकड़ भूमि में से) बीपीसीएल को बेच दी गई है। संयंत्र से संबंद्ध 20 एकड़ भूमि के साथ-साथ एन2ओ4 संयंत्र इसरो को अंतरित कर दिया गया है। रासायनी में बंद पड़े सभी संयंत्र और मुबई में नेस्‍ले फ्लैटों की सफलतापूर्वक ई-नीलामी कर दी गई है।

**राजस्‍थान ड्रग्‍स एण्‍ड फार्मास्‍यूटिकल्‍स लिमिटेड (आरडीपीएल), हिन्‍दुस्‍तान एंटिबायोटिक्‍स (एचएएल), बंगाल केमिकल्‍स एण्‍ड फार्मास्‍यूटिकल्‍स लिमिटेड (बीसीपीएल) और इण्यिन ड्रग्‍स एण्‍ड फार्मास्‍यूटिकल्‍स लिमिटेड (आईडीपीएल)**

28.12.2016 को हुई केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इंडियन ड्रग्‍स एण्‍ड फार्मास्‍यूटिकल्‍स लिमिटेड (आईडीपीएल) और राजस्‍थान ड्रग्‍स एण्‍ड फार्मास्‍यूटिकल्‍स लिमिटेड (आरडीपीएल) को बंद करने और हिन्‍दुस्‍तान एंटिबायोटिक्‍स लिमिटेड (एचएएल) और बंगाल केमिकल्‍स एण्‍ड फार्मास्‍यूटिकल्‍स लिमिटेड (बीसीपीएल) की कार्यनीतिक बिक्री को उनकी अतिरिक्‍त भूमि की बिक्री करके उससे उनकी देयताओं को पूरा करने के पश्‍चात् बन्‍द करने का निर्णय लिया गया है। बंद किए जाने वाले पीएसयूज की भूमि के ब्‍यौरे इस प्रकार हैं:

**आईडीपीएल:** हैदराबाद (890.34 एकड़), ऋषिकेश (834 एकड़) और गुडगांव (89.79 एकड)।

**आरडीपीएल:** जयपुर में 9.35 एकड़।

कार्यनीतिक बिक्री के लिए पीएसयूज की अतिरिक्‍त भूमि इस प्रकार है:

**एचएएल:** पुणे में 87.71 एकड़

**बीसीपीएल:** कोलकाता में 25.01 एकड़

**(ड.)** राज्‍य सरकारों की देयताओं, जो 30 जून, 2018 तक अनुरक्षण तथा अन्‍य खर्चों से संबंधित हैं, के भुगतान हेतु सरकार के प्रस्‍ताव के ब्‍यौरे इस प्रकार हैं:

**एफसीआईएल:** राज्‍य सरकार की कोई देयताएं लंबित नहीं हैं।

**एचएफसीएल:** हल्दिया और दुर्गापुर इकाइयों के अप्रयुक्‍त मदों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों से राज्‍य सरकार की देयताओं का उपयुक्‍त रूप से भुगतान कर दिया जाएगा।

**-4-**

**एचओसीएल:** हिन्‍दुस्‍तान ऑर्गनिक केमिकल्‍स लिमिटेड, एचओसीएल की पुनर्गठन योजना में महाराष्‍ट्र राज्‍य सरकार के तहत संबंधित प्राधिकरणों को स्‍थानीय करों, विद्युत और जल प्रभारों आदि के लिए कंपनी के बकाया देयताओं के भुगतान की व्‍यवस्‍था है। 30 जून, 2018 को कंपनी ने रासायनी इकाई की बकाया देनदारियों के लिए महाराष्‍ट्र सरकार को निम्‍नलिखित भुगतान किए हैं:

i) वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए गैर-कृषि भूमि करों के लिए 1.27 करोड़ रुपए।

ii) वर्ष 2017-18 के लिए विद्य़ुत बकाया हेतु 7.42 करोड़ रुपए।

iii) 2017-18 के लिए पानी की देनदारियों के लिए 5.83 करोड़ रुपए।

iv) वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए व्‍यावसायिक कर हेतु 1.03 करोड़ रुपए।

**आईडीपीएल, आरडीपीएल, बीसीपीएल और एचएएल**: सरकार राज्‍य सरकारों सहित पीएसयूज की सभी देनदारियों का भुगतान करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*